सं0सं0 7/विविध–26–08/12...135(7)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।
निदेशक लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना।
निदेशक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना ।
निदेशक, राजेन्द्रनगर अस्पताल,पटना एवं न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना ।
सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ।
सभी सिविल सर्जन, बिहार।
सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार।
अधीक्षक, सभी अनुमंडलीय अस्पताल।
उपाधीक्षक, सभी अनुमंडलीय अस्पताल।
उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, स्थानीय औषधालय।
सभी क्षेत्रिय मलेरिया पदाधिकारी/जिला मलेरिया पदाधिकारी।
सहायक निदेशक फायलेरिया, बिहार, पटना।
अपर निदेशक–सह–नियंत्री पदाधिकारी, मलेरिया/कुष्ठ एवं यक्ष्मा।
सभी जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी।
निदेशक, टी0बी0डी0सी0, पटना/दरभंगा।
सभी जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, बिहार।
अधीक्षक, महारानी जानकी कुंवर अस्पताल, बेतिया।
अधीक्षक, प्रभावती अस्पताल, गया।
अधीक्षक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, गया।
अधीक्षक, गुरू गोविन्द्र सिंह अस्पताल, पटना सिटी ।
अधीक्षक, संक्रामक रोग अस्पताल, गया।
प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सभी प्रा0स्वा0केन्द्र/सभी रेफरल अस्पताल।
राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना।
संयुक्त खाद्य नियंत्रक, बिहार, पटना।
अधीक्षक, यक्ष्मा अस्पताल, कोईलवर।

पटना, दिनांकः– 21 –9 –12

विषयः–वित्तीय वर्ष 2013–14 का बजट प्राक्कलन एवं वित्तीय वर्ष 2012–13 का पुनरीक्षित प्राक्कलन भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2013–14 का बजट प्राक्कलन एवं वित्तीय वर्ष 2012–13 का पुनरीक्षित प्राक्कलन वित्त विभाग को 30 सितम्बर, 12 तक भेजा जाना है ।

अतः संलग्न विहित प्रपत्र में आगामी वित्तीय वर्ष 2013–14 का बजट प्राक्कलन उपशीर्षवार समेकित कर अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय ताकि इसे ससमय वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जा सके । वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए जीवन यापन भत्ता की गणना वेतन के 81 प्रतिशत पर की जाय ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

21/9/2012

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

अनुलग्नकः– यथोपरि।

प्रपत्र–I

विभाग का नाम– स्वास्थ्य विभाग

भाग संख्या–20 समुह शीर्ष के अन्तर्गत बजट प्राक्कलन

मुख्य शीर्ष– उपमुख्य शीर्ष–

लघु शीर्ष– उप शीर्ष– विपत्र कोड –

पदा0/कर्म0 की संख्या पहली सितम्बर, 2012 को स्वीकृत बल– कार्यरत बल–

विषय शीर्ष	विषय शीर्ष का ब्यौरा	वास्तविकी			चालू वर्ष 12–13 का स्वीकृत आय–व्ययक	वास्तविकी		चालू वर्ष 12–13 का पुनरीक्षित प्राक्कलन		आगामी वर्ष 13–14 का आय–व्ययक अनुमान		
		2009–10	2010–11	2011–12		पिछले वर्ष का प्रथम 4 माह 11–12	चालू वर्ष का प्रथम 4 माह 12–13	नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा प्रस्तावित	प्रशासी विभाग द्वारा संशोधित प्रस्ताव	नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा प्रस्तावित	प्रशासी विभाग द्वारा संशोधित प्रस्ताव	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
विषय शीर्ष												
01-01	वेतन											
01-02	विशेष वेतन											
01-03	जीवन यापन भत्ता											
01-04	मकान किराया भत्ता											
01-05	परिवहन भत्ता											
01-06	चिकित्सा भत्ता											
01-07	अन्य भत्ता											
05-01	पुरस्कार											
06-01	चिकित्सा प्रतिपूर्ति											
11-01	यात्रा व्यय											
13-01	कार्यालय व्यय											
13-02	वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव											
13-03	दूरभाष											
13-04	विद्युत प्रभार											
13-05	विधि प्रभार											
13-06	वर्दी/ पोशाक											
14-01	किराया महसूल एवं कर											
16-01	प्रकाशन एवं मुद्रण											
20-01	आतिथ्य व्यय											
20-02	कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार											
21-01	सामग्री एवं पूर्तियाँ											
27-01	लघु कार्य											
27-02	अनुरक्षण एवं मरम्मत											
28-01	व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिए											
31-01	सहायक अनुदान											
33-01	सब्सिडी											
51-01	मोटर गाड़ी											
52-01	मशीने एवं उपस्कर											
53-01	मुख्य निर्माण कार्य											
80-12	अन्य प्रभार											
	योग:–											

नोट– (1) प्रत्येक उपशीर्ष के लिए अलग प्रपत्र का इस्तेमाल किया जाय । 1. वाहनों की संख्या– 2. दूरभाषों की संख्या– 3. मोबाइलों की संख्या– 4. वर्दीधारी कर्मियों की संख्या–

(2) अन्य प्राथमिक इकाइयों जो परिशिष्ट–2 में दी गयी है, आवश्यक हो तो कृपया जोड़ी जाय ।

(3) राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय में कमी के संबंध में

(क) राजस्व व्यय शीर्ष के अन्तर्गत पिछले वर्ष/ वर्षों से संबंधित अदायगियों के वसूली हेतु लघु शीर्ष 911–घटाये अधिक अदायगियों की वसूलियों के अधीन दो उपशीर्ष 0001–अग्रिम वेतन, यात्रा भत्ता अग्रिम एवं अन्य मदों की असामंजित राशि की वापसी एवं 0002–अधिक/ अनापेक्षित निकासी की नयी राशि की वापसी में ऋणात्मक (–) दिखाना होगा । चालू वर्ष में अधिक अदायगियों की वसूली घटाये वापसियां जोड़कर उसी उपशीर्ष में होगी जिस उपशीर्ष में राशि उपबंधित हुई है ।

(ख) पूंजीगत वापसी में व्यय की कमी के लिए उपशीर्ष में ही घटाये पूंजीगत लेखों में प्राप्तियों तथा वसूलियों संगत लघु शीर्ष के नीचे उपशीर्ष के रूप चिन्हित करते हुए राशि जमा करनी है । पूंजीगत लेखों में कोई लघु शीर्ष किसी कार्यक्रम विशेष के साथ अभी निर्धारित नहीं है तो उनका समायोजन संबंधी मुख्य / उपमुख्य शीर्षों के अन्तर्गत लघु शीर्ष 600–अन्य व्यय के अधीन उपशीर्ष 0090–घटाये पूंजीगत लेखों में प्राप्तियों तथा वसूलीया होगा । सरकारी व्यापार की उन स्कीमों, जिसमें किसी वस्तुओं की थोक खरीद तथा वितरण पर व्यय के लेखों को पूंजीगत संवेशन में दर्शाया जाना अपेक्षित है से संबंद्ध वसूलियाँ मुख्य शीर्ष के अधीन लघु शीर्ष 901–घटाये पूंजीगत लेखों पर प्राप्तियों तथा वसूलियों के अधीन, उपशीर्ष 0001–घटाये पूंजीगत लेखों पर प्राप्तियों तथा वसूलियों में अंकित किया जाना है ।

मुख्य शीर्ष – उपमुख्य शीर्ष लघुशीर्ष उपशीर्ष

विपत्र कोड –

क्रमांक	पदों का वर्गीकरण(ग्रुप ए,बी, सी,डी,) में से कोई	पदनाम	2011–12 पदों की संख्या		2012–13 पदों की संख्या		अन्तर (कमी / वृद्धि) (7–6)	वेतनमान	वेतन	विशेष भत्ता	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	वर्ष में कुल परिलब्धियाँ	अभ्युक्ति
			स्वीकृत बल	कार्यरत बल	पहली सितम्बर, 12 तक कुल स्वीकृत बल	पहली सितम्बर, 12 तक कुल कार्यरत बल			(01–01)	(01–02)	(01–03)	(01–04)	(01–05)	(01–06)	(01–07)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18